www.cbi.gov.in

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो
(सूचना अनुभाग),
5-बी, सी.जी.ओ. कॉम्प्लैक्स,
लोधी रोड, नई दिल्ली-110003

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक, 23.06.2017

सीबीआई ने कारपोरेशन बैंक में कथित घोखाधड़ी से सम्बन्धित 16 मामले दर्ज किए एवं तलाशी की

सीबीआई ने कथित धोखाधड़ी, जिसमें दिल्ली के वसन्त विहार (पॉंच मामले), वसन्त कुन्ज (6 मामले) तथा आली (पॉंच मामले) स्थित कापोरेशन बैंक की तीन शाखाएँ शामिल हैं, से सम्बन्धित कारपोरेशन बैंक से प्राप्त शिकायत के आधार पर कारपोरेशन बैंक के तत्कालीन मुख्य प्रबन्धकों, तत्कालीन वरिष्ठ प्रबन्धक/ शाखा प्रबन्धक और अन्य प्राइवेट व्यक्तियों, ज्यादातर दिल्ली स्थित प्राइवेट फर्मों के मालिक/ स्वामी प्राइवेट फर्मों, वकील सहित तथा अन्य अज्ञातों के विरूद्ध 16 मामले दर्ज हुए।

दिल्ली (10 स्थान), गाज़ियाबाद (02 स्थान) तथा अहमदाबाद (01 स्थान) स्थित आरोपी व्यक्तियों/ फर्मों के परिसरों सहित 13 स्थानों पर आज तलाशी की गई जिसमें आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद हुए। यह 03 अन्य मामलों के अतिरिक्त है जो कि कारपोरेशन बैंक, दिल्ली की वसन्त कुन्ज शाखा में बैंक धोखाधड़ी के सम्बन्ध में पहले ही दर्ज हो चुके हैं और दिनांक 01.06.2017 को 10 स्थानों पर तलाशी भी की गई थी।

ऐसा आरोप था कि प्राइवेट व्यक्तियों/ ऋणियों के उक्त समूह ने झूठे/ जाली दस्तावेजों के आधार पर ऋण लेकर कपटपूर्ण तरीके से बैंक के साथ धोखाधड़ी करने के उद्देश्य से विभिन्न फर्में बनाई। सम्बन्धित बैंक कर्मियों कथित रूप से दस्तावेजों के सत्यापन एवं जल्दबाजी में मंजूरी पूर्व कार्यवाहियों को पूरा किए बिना ही कार्यवाही की एवं ऋण आवेदनों को अन्तिम रूप दिया और अन्तत: ऋण गैर निष्पादित सम्पत्ति (एन.पी.ए.) हो गए। ऐसा भी आरोप था कि उधारकर्ताओं ने खाता विवरणों, अदेयता प्रमाण पत्रों, वित्तीय विवरणों सहित झूठे एवं जाली दस्तावेजों को जमा किया तथा सम्पत्तियों की नीलामी कर दी जिसे किसी अन्य बैंक को पहले ही की जा चुकी थी। खाते गैर निष्पादित सम्पत्ति घोषित हुए और बैंक को 145.48 करोड़ रू. (लगभग) की कथित हानि हुई।

आगे की जॉंच जारी है।

****